"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 22, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 नवम्बर 2024

क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कुमार बिश्वरंजन, भा.प्र.से. (2020), उप सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स के पद पर पदस्थ करता है.

श्री कुमार बिश्वरंजन, भा.प्र.से. द्वारा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 20- /8-2/2023/11/6.—बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त और धारा 26क और धारा 26ख के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** – (1) इन नियमों को छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड, अधिनिर्णय और अपील नियम, 2024 कहा जायेगा है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम''का अर्थ बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) है;

(ख) ''अधिनिर्णय अधिकारी'' का अर्थ अधिनियम की धारा 26क की उपधारा (1) के तहत अधिनिर्णय अधिकारी के रूप में अधिकृत व्यक्ति है;

(ग) ''अपीलीय प्राधिकारी'' का अर्थ अधिनियम की धारा 26ख की उपधारा (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अधिकृत व्यक्ति है;

(घ) ''मुख्य निरीक्षक'' का अर्थ अधिनियम के तहत मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति है;

(ड.) ''जांच'' का अर्थ अधिनियम की धारा 26क में उल्लिखित जांच है;

(च) ''निरीक्षक''का अर्थ अधिनियम के तहत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति है;

(छ) ''मालिक'' का अर्थ अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के तहत होगा;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. नियमों की प्रयोज्यताः ये नियम सम्पुर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होंगे।

4. धारा 26क के तहत अधिनिर्णय कार्यवाही – (1) फॉर्म क में निरीक्षक से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मुख्य निरीक्षक अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार मामले की जांच करेगा, जिसके तहत मालिक पर आरोप लगाया गया है कि क्या उल्लंघन

अधिनियम की धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) या धारा 30 के तहत दंड से दंडनीय है या कोई उल्लंघन स्थापित नहीं किया गया है।

(2) यदि मुख्य निरीक्षक निर्णय लेता है कि ऐसा उल्लंघन अधिनियम की धारा 22, 23, धारा 25 की उप–धारा (1) या धारा 30 के तहत दंड से दंडनीय है, तो वह इंस्पेक्टर को फॉर्म ख में अधिनिर्णय अधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिये अधिकृत करेगा।

(3) मुख्य निरीक्षक से अधिनिर्णय आवेदन दाखिल करने के लिए अधिकृत करने वाला पत्र प्राप्त होने पर, निरीक्षक किए गए कथित उल्लंघन के लिए अधिनिर्णय अधिकारी के पास फॉर्म ग में आवेदन दाखिल करेगा।

(4) निरीक्षक से अधिनिर्णय के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, अधिनिर्णय अधिकारी अधिनियम की धारा 26क के तहत जांच कार्यवाही शुरू करेगा।

(5) अधिनियम की धारा 26क के तहत निर्णय के उद्देश्य से जांच करने के लिए कि क्या किसी मालिक ने धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) या धारा 30 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है या जिसके संबंध में उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है, अधिनिर्णय अधिकारी, ऐसे मालिकों को नोटिस जारी करेगा, जिससे उन्हें मामले में सुनवाई क एक माह की अवधि का अवसर मिलेगा।.

(6) ऐसे मालिकों को नोटिस में उनके या उनके द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रकृति, अधिनियम की कथित धाराओं का उल्लंघन और मामले की सुनवाई की तारीख का संकेत दिया जाएगा। ऐसे नोटिस के साथ निरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी।

(7) सुनवाई के लिए तय की गई तारीख पर, अधिनिर्णयअधिकारी, मालिक (मालिकों) या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथित अपराध के बारे में बताएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है, जिसमें अधिनियम के प्रावधान का संकेत दिया जाएगा ।

(8) अधिनिर्णय अधिकारी ऐसे मालिक(मालिकों) को ऐसे दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझ सकता है और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को भविष्य की तारीख के लिए स्थगित किया जा सकता है।

बशर्ते कि अधिनिर्णय अधिकारी अंतिम आदेश पारित करेगा उपरोक्त उप–नियम (7) में उल्लिखित पहली सुनवाई की तारीख से 180 दिनों के भीतर।

(9) इस नियम के तहत जांच करते समय, अधिनिर्णय अधिकारी के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने और उपस्थित होने के लिए मजबूर करने की शक्ति होगी, जो उसकी राय में हो, अधिनिर्णय अधिकारी जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है।

(10) यदि कोई व्यक्ति उप–नियम (5) और (6) के अनुसार अधिनिर्णय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो अधिनिर्णय अधिकारी कारणों को दर्ज करने के बाद, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच के लिए आगे बढ़ सकता है।

(11) यदि अधिनिर्णयअधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने पर, अधिनिर्णय अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि जिस मालिक के खिलाफ जांच की गई है, वह अधिनियम की धारा 22, 23,धारा 25की उप धारा (1) या धारा 30 के किसी भी प्रावधान के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम की संबंधित धारा या धाराओं के प्रावधानों के अनुसार, ऐसा जुर्माना लगा सकता है जैसा वह उचित समझे।

(12) यदि, हालांकि, अधिनिर्णय अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि जिस मालिक के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जांच की गई है, वह संदेह से परे साबित हो गया है या नहीं हुआ है, तो अधिनिर्णय अधिकारी मामले को खारिज कर देगा।

(13) उप–नियम (11) के तहत दिए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उन प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिनके संबंध में उल्लंघन हुआ है और ऐसे निर्णय के लिए संक्षिप्त कारण शामिल होंगे। जुर्माना लगाते समय, अधिनिर्णय अधिकारी को अधिनियम की धारा 26क के प्रावधानों का उचित ध्यान रखना होगा। ऐसा जुर्माना ई–चालान के रूप में निम्नलिखित खाते में जमा किया जाएगा;

"0230– श्रम और रोजगार

00–––––––––––––––––––––––––––––––––––

103– स्टीम बॉयलरों के निरीक्षण हेतु शुल्क (राज्य)

0000– –––––––––––––––––––––––––––––––––––"

(14) ऐसे प्रत्येक आदेश पर अधिनिर्णय अधिकारी द्वारा तारीख अंकित की जाएगी और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(15) अधिनिर्णय अधिकारी उप–नियम (11) या (12) के तहत दिए गए आदेश की एक प्रति उस मालिक (मालिकों) को भेजेगा जिनके खिलाफ जांच की गई थी और निरीक्षक जिसने अधिनिर्णय के लिए आवेदन दायर किया है।

(16) इन नियमों के तहत जारी किया गया नोटिस या आदेश उस मालिक(मालिकों) को दिया जाएगा जिनके खिलाफ निर्णय की कार्यवाही की गई थी या जांच की गई थी, निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से:

(i) इसे उस मालिक(मालिकों) या उसके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि को वितरित या निविदा देकर; या

(ii) इसे मालिक(ओं) को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा उनके निवास स्थान या उनके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर जहां उन्होंने व्यवसाय किया था या अंतिम बार व्यवसाय किया था या व्यक्तिगत रूप से काम किया था। या अंतिम बार लाभ के लिए काम किया; या

(iii) यदि इसे उप–नियम (i) या (ii) के तहत निर्दिष्ट तरीके से परोसा नहीं जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपका दें जिसमें वह व्यक्ति रहता है या अंतिम बार जाना जाता है निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से काम करता है या लाभ के लिए काम करता है और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा देखी जानी चाहिए।

5. अधिनियम की धारा 26ख के तहत अपील की प्रक्रिया– (1) अधिनियम की धारा 26क के तहत नियुक्त अधिनिर्णय अधिकारी के निर्णय से उत्पन्न अधिनियम की धारा 26ख के तहत अपील, साठ दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म स के निर्धारित प्रारूप में अपीलीय प्राधिकारी के पास दायर की जाएगी। उस तारीख से जिस आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, अपीलकर्ता को प्राप्त होती है।

(2) अपील साठ दिन की अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है।

(3) अपील के साथ नियम 4 के उप–नियम (12) के तहत जारी किए गए अधिनिर्णयअधिकारी के आदेश की एक प्रति और अपील के तथ्यों, अपील के आधार और अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं का स्पष्ट विवरण संलग्न किया जाएगा।

(4) अपील अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा लिखित रूप से या इस ओर से नियुक्त वकील द्वारा या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और, जहां भी लागू हो, निर्धारित शर्तों के साथ संलग्न की जाएगी। नियम 4 के उप नियम (13) में उल्लिखित अनुसार ई–चालान पर 500 रुपये का शुल्क देय होगा।

(5) डाक द्वारा भेजी गई अपील प्राप्त होने के दिन ही अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई मानी जाएगी।

(6) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है, तो इसे विधिवत पंजीकृत किया जाएगा और एक पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

(7) यदि जांच करने पर, अपील दोषपूर्ण पाई जाती है, तो पार्टी को नोटिस के बाद, उसे अनुपालन के लिए वापस कर दिया जाएगा और यदि ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर या दिए गए विस्तारित समय के भीतर, दोष को ठीक नहीं किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अपील दर्ज करने से इनकार कर सकता है।

(8) अपील की एक प्रति तामील, पंजीकृत होते ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी पर हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा किया जाएगा।

(9) अपील स्वीकार होने पर, अपीलीय प्राधिकारी संबंधित अधिनिर्णय अधिकारी से कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड मांग सकता है।

(10) प्रतिवादी, अपील की सूचना की तामील के तीस दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी को अपील पर जवाब दाखिल कर सकता है।

(11) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे, पुष्टि करते हुए, उस आदेश को रद्द कर सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई है।

(12) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश हस्ताक्षरित और दिनांकित होगा। अपीलीय प्राधिकारी के पास लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अधीन अंतरिम आदेश या निषेधाज्ञा पारित करने की शक्ति होगी, जिसे वह न्याय के हित में आवश्यक समझता है।

(13) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, अधिनिर्णय अधिकारी और पक्षों को सूचित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

फॉर्म – क
नियम 4(1) देखें
छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड, अधिनिर्णय एवं अपील नियम, 2024

प्रति,

मुख्य निरीक्षक बॉयलर
द्वितीय तल, उद्योग भवन,
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषयः– **बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन।**

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि बॉयलर पंजीकरण क्रमांक..... /निर्माण क्रमांक.....मैसर्स ..... पर स्थित है। बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन कर चल रहा है।
उपरोक्त बॉयलर के संचालन में निम्नलिखित उल्लंघन पाए गए हैं: –

1.
2.
3.
4.
5.

उपरोक्त उल्लंघनों पर बॉयलर अधिनियम 1923 के अनुसार दंड लगाया जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड, अधिनिर्णय और अपील नियम, 2024 के नियम 4 के अनुसार,आपसे अनुरोध है कि बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 26क के अनुसार उचित कार्रवाई करें।

निरीक्षण अधिकारी
कार्यालय मुख्य निरीक्षक बॉयलर

फॉर्म — ख
नियम 4(2) देखें
छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड, अधिनिर्णय एवं अपील नियम, 2024

प्रति,

उप मुख्य निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक/बॉयलर निरीक्षक
ज़िला.....
छत्तीसगढ़.

विषय :— बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन।
सन्दर्भ :— फॉर्म क दिनांक.....

जैसा कि उपरोक्त विषय और संदर्भ में बताया गया है कि बॉयलर का पंजीकरण नंबर ...../निर्माण नंबर .....,मैसर्स ..... पर स्थित है। बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन कर चल रहा है।

उपरोक्त उल्लंघनों पर बॉयलर अधिनियम 1923 के अनुसार दंड लगाया जाता है। आपको बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 26क एवं छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड,अधिनिर्णय और अपील नियम, 2024 के नियम 4 के अनुसार अधिनिर्णय अधिकारी के समक्ष मामला दायर करने के लिए अधिकृत किया जाता हैं।

तारीख :

मुख्य निरीक्षक बॉयलर
रायपुर,
छत्तीसगढ़

फॉर्म — ग
नियम 4(3) देखें
छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड, अधिनिर्णय एवं अपील नियम, 2024

प्रति,

अधिनिर्णय अधिकारी सह जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट
———————————————————
———————————————————

विषय : बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन।
सन्दर्भः— फॉर्म ख दिनांक.....

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि बॉयलर जिसका पंजीकरण क्रमांक..... ...../निर्माण क्रमांक..... ,मैसर्स.....पर स्थित है। बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन कर चल रहा है।

उपरोक्त बॉयलर के संचालन में निम्नलिखित उल्लंघन पाए गए हैं : —

1.
2.
3.
4.
5.

उपरोक्त उल्लंघनों पर बॉयलर अधिनियम 1923 के अनुसार दंड लगाया जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड,अधिनिर्णय और अपील नियम, 2024 के नियम 4 के अनुसार। आपसे अनुरोध है कि बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 26क के अनुसार उचित कार्रवाई करें।

निरीक्षण अधिकारी
कार्यालय मुख्य निरीक्षक बॉयलर

सूचना(1)
नियम 4(5) देखें
छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड,अधिनिर्णय एवं अपील नियम, 2024

सं. **दिनांक**

प्रति

———————————————
———————————————
———————————————

विषय : बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन।

मुख्य निरीक्षक बॉयलर, छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार। फॉर्म अ में पत्र क्रमांक ———————— दिनांक ———————— (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार आपके बॉयलर का पंजीकरण क्रमांक ————————————/निर्माण क्रमांक————————————हैं,आपके कारखाने के परिसर में बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों के उल्लंघन के बाद से, निरीक्षण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित उल्लंघनों की सूचना दी गई है :–

1.
2.
3.
4.
5.

उपरोक्त उल्लंघनों पर बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अनुसार दंड लगाया जाता है। । इस नोटिस के माध्यम से, आपको इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता है। यदि 30 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो बॉयलर अधिनियम 1923 और छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड,अधिनिर्णयन और अपील नियम, 2024 के अनुसार जुर्माना लगाने की आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक————————————

मुख्य निरीक्षक बॉयलर,द्वितीय तल, उद्योग भवन, रायपुर, छ.ग. आपके पत्र संख्या————दिनांक ———————— के सन्दर्भ में

जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट

आदेश (1)

नियम 4(11) देखें

छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड, अधिनिर्णय एवं अपील नियम, 2024

सं. दिनांक

प्रति

———————————————

———————————————

———————————————

विषयः– बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन

बॉयलर पंजीकरण संख्या————————/निर्माण संख्या———————— के संचालन के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपको एक नोटिस क्रमांक. ———————— दिनांक ———————— जारी किया गया था। जिसमे बॉयलर अधिनियम 1923 का उल्लंघन है। इस कार्यालय को 30 के भीतर में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

या

दस्तावेजी सबूतों के साथ आपके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है और इस प्रकार आपको अधिनियम की धारा ——— के तहत बॉयलर के अवैध उपयोग के लिए जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी पाया गया है।

आपको एतद्द्वारा रु.———————————— की राशि का भुगतान केवल ई–चालान के माध्यम से 0230–00–103–0000 के खाते में करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने की स्थिति में यह राशि आपसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट

क्रमांक **दिनांक————————**

मुख्य निरीक्षक बॉयलर, द्वितीय तल,उद्योग भवन, रायपुर, छ.ग. आपके पत्र क्रमांक ———————— दिनांक ———————— के संदर्भ में

जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट

फॉर्म घ

नियम 5(1)

अपील का प्रारूप

(धारा 26ख के तहत)

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

बॉयलर अधिनियम, 1923 के मामले में

और

अधिनिर्णय अधिकारी, (स्थान) द्वारा पारित आदेश दिनांक..... के विरुद्ध अपील के मामले में

अपील संख्या
अपील करनेवाला
बनाम
प्रतिवादी

अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग के लिए
अपील प्रस्तुत करने की तिथिरू–
डाक द्वारा प्राप्ति की तिथिरू–
पंजीकरण संख्या।रू–
हस्ताक्षर

अनुक्रमणिका
प्रदर्शनविवरण पृष्ठ संख्या

1 अपील
2 अधिनिर्णय अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक..... की प्रति
3 अपीलकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस पर भेजे गए दिनांक ..... के उत्तर की प्रति।
4 आक्षेपित आदेश की प्रति दिनांक.....

अपील

1.अपीलकर्ता का विवरणरू
(i) अपीलकर्ता का नामरू
(ii) अपीलकर्ता का पतारू
(iii)सभी नोटिसों की तामील का पता
(iv) अपीलकर्ता का मोबाइल नंबर
(v) ई–मेल पता

2. प्रतिवादी का विवरणः

(i) प्रतिवादी का नामरू

(ii) प्रतिवादी का पतारू

(iii)सभी नोटिसों की सेवा का पता

3. **अपीलीय प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार :**

अपीलकर्ता घोषणा करता है कि अपील का मामला अपीलीय प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4. सीमा :

अपीलकर्ता ने आगे घोषणा की कि अपील बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 26ख में निर्धारित सीमा के भीतर है।

5. मामले के तथ्य :

यहां मामले के तथ्यों और निर्दिष्ट आदेश के खिलाफ अपील के आधारों का कालानुक्रमिक क्रम में संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैराग्राफ में यथासंभव अलग–अलग मुद्दे, तथ्य या अन्यथा शामिल हों)

6. राहत मांगी गई :

पैराग्राफ 5 में उल्लिखित तथ्यों और उन आधारों को ध्यान में रखते हुए जिन पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है, अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करता हैरू
(यहां मांगी गई राहत(राहतों) और पैर को निर्दिष्ट करें सभी प्रावधान, यदि कोई हो, पर भरोसा किया गया)

7. मांगी गई अंतरिम राहत (यदि मांगी गई हो) :

अपील में अंतिम निर्णय लंबित होने तक, अपीलकर्ता निम्नलिखित अंतरिम राहत चाहता है।
(यहाँ अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की गई है और उसके कारण निर्दिष्ट करें)

8. ऐसे मामले जो किसी अन्य न्यायालय में लंबित न हों :

अपीलकर्ता ने आगे घोषणा की कि जिस मामले के संबंध में यह अपील दायर की गई है वह किसी भी अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

9. भुगतान किये गये शुल्क का विवरण

(i) शुल्क की राशि रु. ––

(ii) ई–चालान टीआरएन––

(iii) तारीख––

10. सूचकांक का विवरणः– जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है उनका विवरण देने वाला एक सूचकांक संलग्न है।

11. संलग्नो की सूची

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं, ————पुत्र /पत्नी/पुत्री, श्री/श्रीमती.....अपीलकर्ता होने के नाते यह सत्यापित करता हूं कि पैराग्राफ 1 से 11 की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैंने किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया है ।

स्थानः—
दिनांकः—

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

फॉर्म ड.
नियम 5(9) देखें
अपीलीय प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड, अधिनिर्णयएवं अपील नियम, 2024

सं. **दिनांक**

प्रति,

अधिनिर्णय अधिकारी सह जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट
————————————————————
————————————————————

विषयः बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन।

मेसर्स———————— से प्राप्त अपील के अनुसार आदेश(1) में पत्र संख्या ———————— दिनांक ———————— (प्रति संलग्न है)।बॉयलर का पंजीकरण क्रमांक ————————/ निर्माण क्रमांक———————— में बॉयलर अधिनियम 1923 के धारा 22/धारा 23/धारा 25 की उपधारा (1) / धारा 30 के उल्लंघन अनुसार दंड लगाया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश(1) के निर्णय के रिकॉर्ड इस कार्यालय को भेजेंगे।

सचिव
छ.ग.शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
क्रमांक दिनांक————————

1.मुख्य निरीक्षक बॉयलर,द्वितीय तल, उद्योग भवन, रायपुर, छ.ग

सचिव
छ.ग.शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

सूचना (2)
नियम 5(10) देखें
अपीलीय प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड, अधिनिर्णय एवं अपील नियम, 2024

सं.

दिनांक--------

प्रति,

विषयः– बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन।

मेसर्स -------------- से प्राप्त अपील के अनुसार आदेश(1) में पत्र संख्या -------------------- दिनांक ---------------- (प्रतिलिपि संलग्न), बॉयलर के पंजीकरण संख्या---------------------/ निर्माण संख्या-------------------- ,बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 22/ धारा 23/धारा 25 की उपधारा (1) /धारा 30 के उल्लंघन अनुसार दंड लगाया गया है।

उपरोक्त उल्लंघनों पर बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 22/धारा 23/धारा 25 की उपधारा (1) /धारा 30 के अनुसार दंड लगाया गया है। इस नोटिस के माध्यम से, आपको सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता है। इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आगे की अपील का निपटारा बॉयलर अधिनियम 1923 और छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड,अधिनिर्णयन और अपील नियम, 2024 के अनुसार किया जाएगा।

सचिव
छ.ग.शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

क्रमांक

दिनांक--------

1. अधिनिर्णय अधिकारी सह जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला--------
2. मुख्य निरीक्षक बॉयलर,द्वितीय तल, उद्योग भवन रायपुर.छ.ग.

सचिव
छ.ग.शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

आदेश(2)
नियम 5(11 एवं12) देखें
अपीलीय प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ बॉयलर दंड, अधिनिर्णय एवं अपील नियम, 2024

सं. **दिनांक**

प्रति,

———————————————
———————————————
———————————————

विषयः– बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन।

आपको एक सूचना (2) क्रमांक ———————— दिनांक ———————— को जारी किया गया था। बॉयलर पंजीकरण संख्या ———————————————— / निर्माण संख्या ———————————— है।

30 दिन की समाप्ति के बाद इस कार्यालय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

या

दस्तावेजी सबूतों के साथ आपके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है।

इस प्रकार आपको बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 22/धारा 23/ धारा 25 की उपधारा (1) /धारा 30 के तहत उल्लंघन के लिए जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी पाया गया है।

या

दस्तावेज़ी सबूतों के साथ आपके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है और आपको बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 22/धारा 23/ धारा 25 की उपधारा (1) /धारा 30 के तहत बॉयलर का उल्लंघन नहीं मिला है।

सचिव
छ.ग.शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
दिनांक ———————

क्रमांक

1. अधिनिर्णय अधिकारी सह जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला———————
2. मुख्य निरीक्षक बॉयलर,द्वितीय तल, उद्योग भवन रायपुर.छ.ग.

सचिव
छ.ग.शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

Nava Raipur, Atal Nagar the 23rd October 2024

No. F 20- /8-2/2023/11/6.—In exercise of the powers conferred by section 29 and read with Sections 26A and 26B of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title and commencement. –

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. –

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Boilers Act, 1923 (5 of 1923);

(b) "Adjudicating Officer" means a person authorized as the Adjudicating Officer authorized under sub- section (1) of section 26A of the Act;

(c) "Appellate Authority" means a person authorized as the Appellate Authority under sub section (1) of section 26B of the Act;

(d) "Chief Inspector" means a person appointed to be a Chief Inspector under the Act;

(e) "Inquiry" means the inquiry mentioned in section 26A of the Act;

(f) "Inspector" means a person appointed to be an Inspector under the Act;

(g) "Owner" shall have a meaning assign to it under clause (d) of section 2 of the Act;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act

3. Applicability of rules: These rules shall be applicable in the state of Chhattisgarh.

4. Adjudication proceedings under section 26A. –

(1) On receipt of a report from the Inspector in Form A, the Chief Inspector shall examine the case according to the provisions of the Act, rules and regulations made there under which the owner(s) has been charged as to whether the contraventions are punishable with penalty under sections 22, 23, sub section (1) of section 25 or section 30 the Act or no contravention is established.

(2) If the Chief Inspector decides that such contravention is punishable with penalty under sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 or section 30 of the Act, he shall cause and authorize the Inspector in Form B to file an application for adjudication of the offence alleged to have been committed by the person in respect of which the report has been received.

(3) On receipt of the communication from the Chief Inspector authorizing the filing of the adjudication application, the Inspector shall file the application in Form C with the Adjudicating Officer for adjudication of the contravention alleged to have been committed.

(4) On receipt of the application for adjudication from the Inspector, the Adjudicating Officer shall commence the inquiry proceedings under section 26A of the Act.

(5) For holding an inquiry for the purpose of adjudication under section 26A of the Act as to whether any owner(s) has or have committed contravention of any of the provisions of sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 or section 30 the Act in respect of which the contravention is alleged to have been committed, the Adjudicating Officer shall, in the first instance, issue a notice to such owner(s) giving him or them an opportunity for hearing in the matter within a period of one month.

(6) The notice to such owners(s) shall indicate the nature of offence alleged to have been committed by him or them, the sections of the Act alleged to have been contravened, and the date of hearing of the matter. A copy of the report of the Inspector shall also be annexed to such notice.

(7) On the date fixed for hearing, the Adjudicating Officer shall explain to the owner(s) or to his authorized representative, the offence alleged to have been committed by such person, indicating the provision of the Act in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(8) The Adjudicating Officer shall then give an opportunity to such owner(s) to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date.

Provided further that the Adjudicating Officer shall pass the final order within 180 days from the date of first hearing mentioned in sub-rule (7) above.

(9) While holding an inquiry under this rule, the Adjudicating Officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(10) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by sub-rule (5) and (6) before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer may proceed with the inquiry in the absence of such person, after recording the reasons for doing so.

(11) If upon consideration of the evidence produced before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer is satisfied that the owner(s) against whom the Inquiry has been conducted, is liable to penalty under any of the provisions of sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 or section 30 the Act, he may, by order in writing, impose such penalty as he thinks fit, in accordance with the provisions of the relevant section or sections of the Act.

(12) If, however, the Adjudicating Officer is satisfied that the owner(s) against whom the inquiry has been conducted for the contravention of provisions of the Act, has or have not been proved beyond doubt, the Adjudicating Officer shall dismiss the case.

(13) Every order made under sub-rule (11) shall specify the provisions of the Act in respect of which the contravention has taken place and shall contain brief reasons for such decision. While imposing penalty, the Adjudicating Officer shall have due regard to the provisions of section 26A of the Act. Such penalty will be remitted in the form of an e-challan in following head of account;

''0230- Labour and Employment
0000- ----------
103- fee for inspection of steam Boilers (state)
0000- ----------''

(14) Every such order shall be dated and signed by the Adjudicating Officer.

(15) The Adjudicating Officer shall send a copy of the order made under sub-rules (11) or (12) to the owner(s) against whom the inquiry was conducted and the inspector who has filed the application for adjudication,

(16) A notice or an order issued under these rules shall be served on the owner(s) against whom the adjudication proceedings were held or inquiry has been conducted, in any of the following manner:

(i) by delivering or tendering it to that owner(s) or his duly authorized representative; or (ii) by sending it to the owner(s) by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

(iii) if it cannot be served in the manner specified under sub-rule (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and written report thereof should be witnessed by two persons.

5. Procedure for Appeal under section 26B of the Act. –

(1) An appeal under section 26B of the Act, arising out of a decision of the Adjudicating Officer appointed under section 26A of the Act, shall be filed with the Appellate Authority in the prescribed format of Form D within a period of sixty days from the date on which the copy of the order against which the appeal is filed, is received by the appellant.

(2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of Adjudicating Officer issued under sub-rule (12) of rule 4 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant sections of the Act.

(4) The appeal shall be presented in triplicate by the appellant in person or by his duly authorized agent in writing or by an advocate duly appointed in this behalf or by registered post or speed post and shall be accompanied, wherever applicable, with the stipulated fee of Rs.500 payable at an e-challan as mentioned in sub rule (13) of rule 4.

(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been presented to the Appellate Authority on the day it is received.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a registration number.

(7) If on scrutiny, the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within 21 days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the Appellate Authority, may, for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal.

(8) A copy of the Appeal shall be served by the Appellate Authority on the Respondent as soon as it is registered, by hand delivery or by Registered post or speed post.

(9) On admission of the appeal, the Appellate Authority may call for the records relating to the proceedings from the respective Adjudicating Officer.

(10) Respondent may, within thirty days of service of notice of appeal, file reply on the appeal to the Appellate Authority.

(11) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may think fit, confirming, setting aside the order appealed against.

(12) The order of the Appellate Authority shall be signed and dated. The Appellate Authority shall have powers to pass interim orders or injunction, subject to reasons to be recorded in writing, which he considers necessary in the interest of justice.

(13) A certified copy of every order passed by the Appellate Authority shall be communicated to the Adjudicating Officer and to the parties, as the case may be.

By order and in the name of the Covernor of Chhattisgarh,
ANKIT ANAND, Secretary.

Form – A

See Rule 4 (1) of

Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024

To,

Chief Inspector of Boilers
Second Floor, Udyog Bhawan,
Raipur, CG

Subject: Violation of Provisions of the Boiler Act 1923

It has come to the knowledge of this office that a boiler having registration No..... / Maker no. ..... situated at M/s ..... is running in violation of the provisions of Boiler Act 1923.

The following violations have been found in the operation of aforesaid Boiler:-

1.

2.

3.

4.

5.

The above violations attract penalties in accordance with the Boiler Act 1923.Therefore as per rule 4 of Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024. You are kindly requested to take appropriate action as per section 26A of the Boilers act 1923.

InspectingOfficer
Office of Chief Inspector of Boilers,

Form – B

See Rule 4 (2) of

Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024

To,

Deputy Chief Inspector/Sr.Inspector/Inspector of Boilers
District.....,
Chhattisgarh.

Subject: - Violation of Provisions of the Boiler Act 1923.

Reference: - Form A on date.....

As the above subject and reference that boiler having registration No..... / Maker no. ..... situated at M/s ..... is running in violation of the provisions of the Boiler Act 1923.

The above violations attract penalties in accordance with the Boiler Act 1923.Therefore as per rule 4 of Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024.You are authorized to file a case to the Adjudicating officer as per section 26A of the Boilers act 1923.

Date:

Chief Inspector of Boilers
Raipur, Chhattisgarh

Form – C

See Rule 4 (3) of

Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024

To,

Adjudicating Officer

Subject: Violation of Provisions of the Boiler Act 1923.

Reference: - Form B on date.....

It has come to the knowledge of this office that a boiler having registration No..... / Maker no. ..... situated at M/s ..... is running in violation of the provisions of the Boiler Act 1923.

The following violations have been found in the operation of aforesaid Boiler:-

1.
2.
3.
4.
5.

The above violations attract penalties in accordance with the Boiler Act 1923.Therefore as per rule 4 of Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024. You are kindly requested to take appropriate action as per section 26A of the Boilers act 1923.

Inspecting Officer
Office of Chief Inspector of Boilers,

Notice (1)
See rule 4(5) of
Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024

No. Dated

To

Subject: Violation of Provisions of the Boiler Act 1923

As per the report received from Chief inspector of boiler, CG. in form A vide letter No. -------- Dated ---------- (copy attached) you are Steaming boiler bearing registration no. ---------- / Maker No. ---------- in your factory premises at ---------- Since ---------- in violations of the provisions of the Boiler Act 1923 .The following violations have been informed by Inspecting Officer:-

1.
2.
3.
4.
5.

Above violations attracts penalties in accordance with Section 22, Section 23, subsection (1) of Section 25 & Section 30 of the Boilers Act 1923.Through this notice, an opportunity is given to you to explain your position in this regard along with supporting documents within 30 days from the receipt of this notice. In case no reply is received within 30 days, further action shall be taken to impose penalty as per the Boiler Act 1923 and Chhattisgarh Boiler Penalty,Adjudication and Appeal Rules, 2024.

District / Additional District Magistrate

Endst. No. Dated ----------

Chief Inspector of Boiler, Second Floor, Udyog Bhawan, Raipur, CG. in reference to your letter No. ---------- dated --------

District/ Additional District Magistrate

ORDER(1)
See rule 4(11) of
Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024

No. Date

To

Subject: Violation of Provisions of the Boiler Act 1923

You were issued a notice vide no. ---------- Dated ---------- to explain your position for the operation of Boiler bearing registration No. --------- / Maker No. ---------- in violation of The Boiler Act 1923.However no reply has been received in this office after the expiry of 30 days. OR

The explanation given by you along with documentary evidence have been considered and you are thus found liable to pay a penalty for violation under section ------ of the act.

You are hereby directed to pay a sum of Rs. ---------- only through E-challan in account of 0230-00-103-0000 Fees for Inspection of Steam Boilers (State) and to produce a copy of relevant treasury receipt. In case of failure the amount will be recoverable from you as arrears of land revenue.

District / Additional District Magistrate

Endst. No. Dated ----------

Chief Inspector of Boiler, Second Floor, Udyog Bhawan, Raipur, CG. in reference to your letter No. --------- dated ----------

District/ Additional District Magistrate

FORM D

See rule 5(1) of

FORM OF APPEAL
(Under section 26B)

BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY
In the matter of the Boiler Act, 1923

AND

In the matter of appeal against the order dated.....passed by the Adjudicating Officer, (Place)

APPEAL NO. OF

Appellant

Vs

Respondent

For use in Appellate Authority's office

Date of presentation of appeal:-

Date of receipt by post:-

Registration No.:-

Signature

INDEX

S.N.	Exhibit Particulars	Page No.
1	Appeal	
2	Copy of Show cause notice dated..... issued by the Adjudicating Officer	
3	Copy of the Reply dated..... sent by the Appellant to the Show Cause Notice.	
4	Copy of the impugned order dated.....	

APPEAL

Particulars of the Appellant

(i) Name of the Appellant:

(ii) Address of the Appellant:

(iii) Address for service of all notices

(iv) Mobile No. of the Appellant

(v) E-mail address

2. Particulars of the Respondent

(i) Name of the Respondent:

(ii) Address of the Respondent:

(iii)Address for service of all notices

3. Jurisdiction of the Appellate Authority

The Appellant declares that the matter of appeal falls within the jurisdiction of the Appellate Authority.

4. Limitation

The Appellant further declares that the appeal is within the limitation as prescribed in section 26B of the Boilers Act, 1923.

5. Facts of the case

Here give a concise statement of facts of the case and grounds of appeal against the specified order, in a chronological order, each paragraph containing as neatly as possible as separate issue, fact or otherwise)

6. Relief(s) sought

In view of the facts mentioned in paragraph 5 and the grounds on which the impugned order is challenged, the Appellant prays for the following relief(s)

(Here specify the relief(s) sought and the legal provision, if any, relied upon)

7. **Interim relief(s) sought (if prayed for)**

Pending the final decision in the appeal, the Appellant seeks the following interim relief (s). **(Here specify the interim relief(s) prayed for and the reasons therefore)**

8. Matters not pending with any other court

The Appellant further declares that the matter regarding which this appeal has been filed is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal.

9. Particulars of fee paid

(i) Amount of fee Rs. --

(ii) E-challan TRN-

(iii) date

10. Details of index :-An index containing the details of the documents relied upon is enclosed.

11. List of enclosures

(Signature of the Appellant)

VERIFICATION

I, ------son /wife/daughter of Mr..... being the Appellant do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 11 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact.

Place:-

Date: - (Signature of the Appellant)

FORM E

See rule 5(9) of

APPELLATE AUTHORITY

Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024

No. Dated

To

Adjudicating Officer cum District / Additional District Magistrate

---

Subject: Violation of Provisions of the Boiler Act 1923

As per the appeal received from M/s..... in Order vide letter No. -------- Dated ---------- (copy attached).Boiler bearing registration no. ---------- / Maker No. ---------- in violations attracts penalties in accordance with Section 22/Section 23/ subsection (1) of Section 25/Section 30 of the Boilers Act 1923.

You are requested to send the records of adjudication of said Oder.

Secretary
Commerce & Industries Department
Chhattisgarh

Endst. No. Dated ----------

Chief Inspector of Boiler, Second Floor, Udyog Bhawan, Raipur, CG. in reference to your letter No. ---------- dated --------

Secretary
Commerce & Industries Department
Chhattisgarh

Notice (2)
See rule 5(10) of
APPELLATE AUTHORITY
Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024

No. Dated

To

Subject: Violation of Provisions of the Boiler Act 1923

As per the appeal received from M/s..... in Order(1) vide letter No. -------- Dated ---------- (copy attached).Boiler bearing registration no.---------- / Maker No. ---------- in violations attracted penalties in accordance with Section 22/Section 23/ subsection (1) of Section 25/Section 30 of the Boilers Act 1923

Above violations attracted penalties in accordance with Section 22/Section 23/ subsection (1) of Section 25/Section 30 of the Boilers Act 1923.Through this notice, an opportunity is given to you to explain your position in this regard along with supporting documents within 30 days from the receipt of this notice. In case no reply is received within 30 days, further appeal shall be disposed of as per the Boiler Act 1923 and Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024.

Secretary
Commerce & Industries Department
Chhattisgarh

Endst. No. Dated ----------

1.Adjudicating Officer cum District / Additional District Magistrate, District.....

2.Chief Inspector of Boiler,Second Floor, Udyog Bhawan, Raipur, CG.

Secretary
Commerce & Industries Department
Chhattisgarh

ORDER (2)
See rule 5(11 & 12) of
APPELLATE AUTHORITY
Chhattisgarh Boiler Penalty, Adjudication and Appeal Rules, 2024

No. Date

To

Subject: Violation of Provisions of the Boiler Act 1923

You were issued an Notice (2) vide no. ---------- Dated ---------- to explain your position for the operation of Boiler bearing registration No. --------- / Maker No. ---------- in violation of The Boiler Act 1923.

However no reply has been received in this office after the expiry of 30 days.

OR

The explanation given by you along with documentary evidence have been considered and you are thus found liable to pay a penalty for violation under Section 22/Section 23/ subsection (1) of Section 25/Section 30 of the Boilers Act 1923.

OR

The explanation given by you along with documentary evidence have been considered and you have not found violation under Section 22/Section 23/ subsection (1) of Section 25/Section 30 of the Boilers Act 1923.

Secretary
Commerce & Industries Department
Chhattisgarh

Endst. No. Dated ----------

1. Adjudicating Officer cum District / Additional District Magistrate, District.....
2. Chief Inspector of Boiler, Second Floor, Udyog Bhawan, Raipur.CG

Secretary
Commerce & Industries Department
Chhattisgarh

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 नवम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2023-24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	उज्जलपुर	22.675	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	केलो डूबान में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

प्र. क्रमांक 202207042100021/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बुनगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
330/1	0.049
488/1	0.016

	(1)	(2)
	504/2	0.008
योग	03	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत बुनगा माईनर–1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

प्र. क्रमांक 202301042100040/अ–82/2022–23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–रायगढ़
(ख) तहसील–पुसौर
(ग) नगर/ग्राम–गोतमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.020
योग 1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत टिनमिनी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला–दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक/1890/भू–अर्जन/2024.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–दंतेवाड़ा
(ख) तहसील–दंतेवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम–बालूद
(घ) लगभग क्षेत्रफल–3.610 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121, 1166, 1174, 1189	0.060, 0.020, 0.020, 0.020
132, 134, 294	0.020, 0.010, 0.050
139	0.070
137	0.040
235/1	0.150
252, 253/2	0.050, 0.070
253/2	0.050
253/4	0.070
246/1	0.090
259/1	0.060
274	0.220
288	0.140
295/2	0.050
295/3, 295/5	0.180, 0.020
295/4	0.120
773, 1276	0.040, 0.040
1292	0.020
1291	0.030
1294	0.030
1308/1	0.210

(1)	(2)
1308/2	0.230
259/2	0.010
259/3	0.010
259/4	0.010
246/2	0.090
234	0.04
292	0.58
293	0.53
296	0.60
260/1	0.08
1169	0.02
योग 39	3.610

वृक्ष का किस्म	संख्या
महुआ	27
सागौन	10
आम	06
साजा	01
जामुन	05
बीजा	04
लेडीया	02
टीवस	01
तेन्दु	02
पीपल	01
हल्दू	03
अन्य	02
योग	64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बालूद, तहसील दंतेवाड़ा बायपास गीदम जनपद से बांगाबाड़ी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर 2024

क्रमांक/1895/भू-अर्जन/2024.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बालपेट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
208	0.01
230/1, 238/1	0.01, 0.01
286	0.03
290	0.13
294	0.09
295	0.02
297	0.04
298	0.02
604, 666	0.11, 0.03
605	0.12
606	0.15
661	0.07
664	0.05
671	0.01
674	0.02
675	0.03
676	0.04
685, 697	0.03, 0.11
703	0.04
716	0.02
203/2, 203/3	0.01, 0.01
203/4	0.01
230/2	0.02
681	0.02
682/1	0.03
682/2	0.02
682/3	0.03
682/4	0.02
686/2/5	0.01
717/1	0.04
687	0.02
527	0.25

	(1)	(2)
	528, 529	0.06, 0.25
	667	0.20
योग	39	1.43

वृक्ष का किस्म	संख्या
महुआ	02
सागौन	01
केकड़	02
मोदे	02
ईमली	01
लेडीया	01
योग	09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–ग्राम बालपेट, तहसील दंतेवाड़ा बायपास गीदम जनपद से बांगाबाड़ी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
"सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन" सेक्टर–24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30 अगस्त 2024

क्रमांक/बी–4/1/32(2)/भा.अधि./2024–25/3292.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी–4/1/32(2)/भा.अधि./2023–24/6074 नवा रायपुर दिनांक 15–12–2023 द्वारा श्री आर. के. राठौर, संयुक्त संचालक, कृषि, संभाग दुर्ग, जिला–दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्रमांक/एफ/01–25/2024/14–1 नवा रायपुर दिनांक 21–08–2024 द्वारा श्री आर. के. राठौर संयुक्त संचालक कृषि संभाग दुर्ग/भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग को प्रशासकीय आधार पर प्रबंध संचालक, बीज प्रमाणीकरण, एजेंसी रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि., नवा रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री आर. के. राठौर, संयुक्त संचालक कृषि, दुर्ग, जिला–दुर्ग का स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री विकास साहू, सहायक संचालक कृषि दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.) को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला–दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

महेन्द्र सिंह सवन्नी,
संचालक.

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

(खण्ड-3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्रमांक/21/प्रवर्तन/श्र.आ./2016/340.—मैं अलरमेलमंगई डी., श्रमायुक्त, श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473/7258/16, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक-2 में दर्शाये गये श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को सारिणी के स्तम्भ क्रमांक-4 में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करती हूं :—

क्र. (1)	कर्मचारी का नाम (2)	पदनाम (3)	अधिकार क्षेत्र (4)
1.	श्री प्रियांश तिवारी	श्रम निरीक्षक	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	श्री लव कुमार	श्रम निरीक्षक	—तदैव—
3.	श्री विनय सिंह ठाकुर	श्रम निरीक्षक	—तदैव—
4.	सुश्री नेहा अग्रवाल	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
5.	श्री अभय दुबे	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
6.	श्री दीपक कुमार पटेल	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
7.	श्री अलीम अहमद नियाजी	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
8.	श्री देवेन्द्र कुमार चंद्रवंशी	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
9.	श्री अमर कुमार यादव	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
10.	श्री अविनाश कुमार साहू	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
11.	सुश्री अंजु साहू	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
12.	श्री विलास कुमार	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
13.	श्री बेलारसन	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
14.	श्री कोमल सिंह मरावी	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
15.	सुश्री रश्मि	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
16.	श्री प्रदीप कुमार यादव	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
17.	श्री अजय कुमार शेन्डे	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—
18.	श्री सुधीन कुमार सिदार	श्रम उप निरीक्षक	—तदैव—

अलरमेलमंगई डी.
श्रमायुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्रमांक 13301/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-11995/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII), दिनांक 30-07-2024 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 2125/2562/21-ब/2024, दिनांक 21 अगस्त 2024 द्वारा स्थापित जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी तथा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय दिनांक 02-09-2024 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद 2. गुण्डरदेही	3 1	1. बालोद 2. दल्लीराजहरा 3. डौण्डीलोहारा	2 1 1
2.	बलौदाबाजार-भाटापारा	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा	5 1	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा 3. कसडोल	2 1 1	1. बलौदाबाजार 2. सिमगा	2 1
3.	बलरामपुर - रामानुजगंज.	1. रामानुजगंज	2	1. रामानुजगंज	*2	1. बलरामपुर 2. वाड्रफनगर 3. राजपुर	1 1 1
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	8
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	3	1. बेमेतरा 2. साजा	2 1
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. पेण्ड्रारोड	13 2	1. बिलासपुर 2. पेण्ड्रारोड 3. बिल्हा	5 2 1	1. बिलासपुर 2. पेण्ड्रारोड 3. कोटा 4. मरवाही 5. तखतपुर	10 1 2 1 1
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	5	1. दंतेवाड़ा 2. सुकमा 3. बीजापुर	1 2 1	1. दंतेवाड़ा 2. बीजापुर 3. बचेली 4. कोंटा	2 1 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	3
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
						3. कुरूद	1
9.	दुर्ग	1. दुर्ग	15	1. दुर्ग	5	1. दुर्ग	18
		2 पाटन	1	2. पाटन	1	2. भिलाई-3	2
				3. भिलाई-3	1	3. धमधा	1
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	5	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	4
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	2	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	2
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजेपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
						8. चांपा	1
11.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	2	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
		3. पत्थलगांव	1			3. बगीचा	1
						4. कुनकुरी	1
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	4	1. कवर्धा	2
						2. पंडरिया	1
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव	2	1. नारायणपुर	1
				2. नारायणपुर	1	2. केशकाल	1
14.	कोरबा	1. कोरबा	3	1. कोरबा	3	1. कोरबा	3
		2. कटघोरा	3	2. कटघोरा	2	2. कटघोरा	2
						3. पाली	1
						4. करतला	1
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. बैकुण्ठपुर	1	1. बैकुण्ठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	2
		2. मनेन्द्रगढ़	2	2. मनेन्द्रगढ़	2	2. मनेन्द्रगढ़	1
		3. चिरमिरी	1	3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
16.	महासमुंद	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	4
		2. सराईपाली	2	2. सराईपाली	1	2. पिथौरा	1
						3. बसना	1
						4. बागबाहरा	1
17.	मुंगेली	1. मुंगेली	2	1. मुंगेली	3	1. मुंगेली	1
						2. लोरमी	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	रायगढ़	1. रायगढ़	9	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	6
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धरमजयगढ़	1
		3. घरघोड़ा	1	3. सारंगढ़	2	3. खरसिया	2
						4. बिलाईगढ़	1
						5. भटगांव	1
						6. घरघोड़ा	1
						7. सारंगढ़	1
19.	रायपुर	1. रायपुर	18	1. रायपुर	8	1. रायपुर	22
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	3	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़-चौकी	2	2. डोंगरगढ़	1
		3. डोंगरगढ़	1	3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	2	4. छुईखदान	1
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	5	1. सूरजपुर	4	1. सूरजपुर	4
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
22.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	7	1. अम्बिकापुर	3	1. अंबिकापुर	5
						2. सीतापुर	2
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	3	1. कांकेर	3	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1
		योग	**134**		**105**		**166**

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के *2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 13301/Checker/III-10-8/2000 (VIII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 11995/Checker/III-10-8/2000 (VIII), dated 30-07-2024, the High Court hereby directs that the Courts of District Judges, Civil Judges, Senior Division and Civil Judges Junior Division as established by the Law Department Notification No. 2125/2562/21-B/2024, dated 21-08-2024 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 02-09-2024 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of District Judges		Court of Civil Judges Senior Division		Court of Civil Judges Junior Division	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	3	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Daundilohara	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Balodabazar-Bhatapara	1. Balodabazar 2. Bhatapara	5 1	1. Balodabazar 2. Bhatapara 3. Kasdol	2 1 1	1. Balodabazar 2. Simga	2 1
3.	Balrampur-Ramanujganj	1. Ramanujganj	2	1. Ramanujganj	*2	1. Balrampur 2. Wadrafnagar 3. Rajpur	1 1 1
4.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	8
5.	Bemetara	1. Bemetara	2	1. Bemetara	3	1. Bemetara 2. Saja	2 1
6.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Pendraroad	13 2	1. Bilaspur 2. Pendraroad 3. Bilha	5 2 1	1. Bilaspur 2. Pendraroad 3. Kota 4. Marwahi 5. Takhatpur	10 1 2 1 1
7.	Dakshin Bastar (Dantewada)	1. Dantewada	5	1. Dantewada 2. Sukma 3. Bijapur	1 2 1	1. Dantewada 2. Bijapur 3. Bacheli 4. Konta	2 1 1 1
8.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari 2. Kurud	2 1	1. Dhamtari 2. Nagri 3. Kurud	3 1 1
9.	Durg	1. Durg 2. Patan	15 1	1. Durg 2. Patan 3. Bhilai-3	5 1 1	1. Durg 2. Bhilai-3 3. Dhamdha	18 2 1
10.	Janjgir-Champa	1. Janjgir 2. Sakti	5 2	1. Janjgir 2. Sakti 3. Champa 4. Akaltara	2 2 1 1	1. Janjgir 2. Sakti 3. Dabhra 4. Pamgarh 5. Jaijaipur 6. Navagarh 7. Malkharoda 8. Champa	4 1 2 1 1 1 1 1
11.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri 3. Patthalgaon	1 2 1	1. Jashpur 2. Kunkuri	2 1	1. Jashpur 2. Patthalgaon 3. Bagicha 4. Kunkuri	1 1 1 1
12.	Kabirdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	4	1. Kawardha 2. Pandariya	2 1
13.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1 Kondagaon 2 Narayanpur	2 1	1. Narayanpur 2. Keshkal	1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	Korba	1. Korba	3	1. Korba	3	1. Korba	3
		2. Katghora	3	2. Katghora	2	2. Katghora	2
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
15.	Koriya	1. Baikunthpur	1	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	2
	(Baikunthpur)	2. Manendragarh	2	2. Manendragarh	2	2. Manendragarh	1
		3. Chirmiri	1	3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
16.	Mahasamund	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	4
		2. Saraipali	2	2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
						3. Basna	1
						4. Bagbahara	1
17.	Mungeli	1. Mungeli	2	1. Mungeli	3	1. Mungeli	1
						2. Lormi	1
18.	Raigarh	1. Raigarh	9	1. Raigarh	2	1. Raigarh	6
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
		3. Gharghora	1	3. Sarangarh	2	3. Kharsiya	2
						4. Bilaigarh	1
						5. Bhatgaon	1
						6. Gharghora	1
						7. Sarangarh	1
19.	Raipur	1. Raipur	18	1. Raipur	8	1. Raipur	22
		2. Gariaband	1	2. Gariaband	2	2. Gariaband	1
						3. Rajim	1
						4. Tilda	1
						5. Devbhog	1
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	3	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-	2	2. Dongargarh	1
		3. Dongargarh	1	chouki.		3. Khairagarh	1
				3. Dongargarh	1	4. Chhuikhadan	1
				4. Khairagarh	2		
21.	Surajpur	1. Surajpur	5	1. Surajpur	4	1. Surajpur	4
		2. Pratappur	1	2. Pratappur	1		
22.	Surguja	1. Ambikapur	7	1. Ambikapur	3	1. Ambikapur	5
	(Ambikapur)					2. Sitapur	2
23.	Uttar Bastar	1. Kanker	3	1. Kanker	3	1. Kanker	1
	(Kanker)	2. Bhanupratappur	1	2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1
		Total	**134**		**105**		**166**

Note :— *2 Courts of Civil Judge Senior Division - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

बिलासपुर, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्रमांक 13302/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII).—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-5146/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII) दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि दिनांक 02 सितम्बर, 2024 से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय, साधारणत: निम्न सारणी के कॉलम (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
1.	बालोद	1. बालोद
2.	बलौदाबाजार-भाटापारा	1. बलौदाबाजार
		2. भाटापारा
3.	बलरामपुर-रामानुजगंज	1. रामानुजगंज
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर
		2. पेण्ड्रारोड
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा
8.	धमतरी	1. धमतरी
		2. कुरूद
9.	दुर्ग	1. दुर्ग
		2. पाटन
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
		2. सक्ती
11.	जशपुर	1. जशपुर
		2. कुनकुरी
		3. पत्थलगांव
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव
14.	कोरबा	1. कोरबा
		2. कटघोरा
15.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. बैकुण्ठपुर
		2. मनेन्द्रगढ़
		3. चिरमिरी
16.	महासमुंद	1. महासमुंद
		2. सराईपाली
17.	मुंगेली	1. मुंगेली
18.	रायगढ़	1. रायगढ़
		2. सारंगढ़
		3. घरघोड़ा

(1)	(2)	(3)
19.	रायपुर	1. रायपुर
		2. गरियाबंद
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
		2. खैरागढ़
		3. डोंगरगढ़
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर
		2. प्रतापपुर
22.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अम्बिकापुर
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर
		2. भानुप्रतापपुर

No. 13302/Checker/III-10-8/2000 (VIII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 8 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and in supersession of its previous Notification No. 5146/Checker/III-10-8/2000 (VIII), dated 27-04-2023, the High Court of Chhattisgarh is pleased to direct that with effect from the 2nd September, 2024 ordinarily the Court of Sessions specified in column No. (2) of the Table below, shall hold its sitting at the place or places, specified against it in Column No. (3) :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
1.	Balod	1. Balod
2.	Balodabazar-Bhatapara	1. Balodabazar
		2. Bhatapara
3.	Balrampur-Ramanujganj	1. Ramanujganj
4.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur
5.	Bemetara	1. Bemetara
6.	Bilaspur	1. Bilaspur
		2. Pendraroad
7.	Dakshin Bastar (Dantewada)	1. Dantewada
8.	Dhamtari	1. Dhamtari
		2. Kurud
9.	Durg	1. Durg
		2. Patan
10.	Janjgir-Champa	1. Janjgir
		2. Sakti
11.	Jashpur	1. Jashpur
		2. Kunkuri
		3. Patthalgaon
12.	Kabirdham (Kawardha)	1. Kawardha
13.	Kondagaon	1. Kondagaon
14.	Korba	1. Korba
		2. Katghora

(1)	(2)	(3)
15.	Koria (Baikunthpur)	1. Baikunthpur
		2. Manendragarh
		3. Chirmiri
16.	Mahasamund	1. Mahasamund
		2. Saraipali
17.	Mungeli	1. Mungeli
18.	Raigarh	1. Raigarh
		2. Sarangarh
		3. Gharghora
19.	Raipur	1. Raipur
		2. Gariaband
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon
		2. Khairagarh
		3. Dongargarh
21.	Surajpur	1. Surajpur
		2. Pratappur
22.	Sarguja (Ambikapur)	1. Ambikapur
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker
		2. Bhanupratappur

By the order of the High Court,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.